सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:— 236 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :—22.10.2024

1. धनराज गुर्जर आयु 25 वर्ष आ. रामचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. कालू आ. रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील हिण्डोली
2. फोरन्ता पुत्री रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी बालापुरा तहसील हिण्डोली
3. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :— श्री चन्द्रप्रकाश जैन
वकील अप्रार्थी :— एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय दिनांक :— 14 / 08 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 103 पुराना 58 की भूमि ख.सं. 4048 / 382 रकबा 0.1538 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा पटवार अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. में विस्थित है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी मे दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करना चला आ रहा है। प्रार्थी के पिता रामचन्द्र जी के दो पुत्र कालू, धनराज व एक पुत्री फोरन्ता थी, प्रार्थी के पिता के धर्मराज नाम का कोई पुत्र नही था, प्रार्थी का नाम धनराज गुर्जर ही है, प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरण संख्या 422 दिनांक 20.9.2023 खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम धर्मराज के नाम का इन्द्राज कर दिया, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा खोला गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड, जॉबकार्ड आदि मे प्रार्थी का नाम धनराज गुर्जर दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम धर्मराज दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओ का लाभ भी नही ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम धनराज गुर्जर है और पहचान के सभी दस्तावेजात मे भी धनराज गुर्जर ही दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर धर्मराज के स्थान पर धनराज गुर्जर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 20.08.2024 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकारी प्रापत है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम धर्मराज के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर धनराज गुर्जर दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम धनराज गुर्जर दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमि वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या नया 103 पुराना 58 की भूमि खरा संख्या 4048/382 रकबा 0.15.38 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.1538 हैक्टेयर वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम धर्मराज के इन्द्राज को दुरूस्त करने आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब नहीं दिए जाने पर उनका जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 3 नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :- राजस्व/25/786 दिनांक :-20.05.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बालापुरा के खाता संख्या 103 में प्रार्थी का नाम धर्मराज पुत्र रामचन्द्र दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान ने उक्त खाता नम्बर में दर्ज धर्मराज पुत्र रामचन्द्र व धनराज पुत्र रामचन्द्र एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज धर्मराज पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम धनराज पुत्र रामचन्द्र दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम धर्मराज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पुत्र रामचन्द्र है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, जन–आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम धनराज पुत्र रामचन्द्र दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बालापुरा पटवार मण्डल अलोद के खाता संख्या 103 में दर्ज सहखातेदार धर्मराज पुत्र रामचन्द्र के स्थान प्रार्थी का सही नाम धनराज पुत्र रामचन्द्र शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 14.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

14/08/2025

(शिवराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
हिण्डोली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)